

काम
म गोविन्द काय
प्राचीन पत्र

फद अहकाम
बनाम VLS गाविकेन्द्र कार्ट
प्राचीन पत्र



स्तुत रूप से

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

का उक्त कदम
या पाया काले
के 06-318
तक प्रोत्साहित

22/05/18.
पञ्जावली राजस्व लोक अदालत
में पेश हुआ, उपस्थित पक्षकारों
को सुना गया। पञ्जावली, पञ्जावली
पर उपलब्ध डस्तावेजों, विधि के
सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन
किया गया। प्राची का मूल काद
कावली के द्वारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
से संबंधित है, जो प्राथमिक डिग्री
दिने जाने कावत कदम में निपत
मूल काद का न्यायपूर्ण निस्तारण
के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कर किया जा
सकेगा, अतः तब दोनों पक्षों में कि
प्रकार का विवाद नहीं बढ़े इसके
लिए दोनों पक्षों का नॉफ़सला
मूल काद अस्थायी निषेधाज्ञा के
पावन, किया जाना न्यायसंगत है।
अतः दोनों पक्षों को नॉफ़सला मूल
काद अस्थायी निषेधाज्ञा के पावन
दिया जाता है कि गुरु काजावाक
अधीन के ख.नं. 231, 232, 235
426, 469 के नॉफ़ा एवं राजस्व रिकार्ड
की प्रमाप्ति के लिये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
संघ द्वारा स्थायी
स्था गपा गत
लग के दिनों
पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
के प्रोत्साहित
के कदम प्रोत्सा
के पेश हो तब तक
रहेगा।

वाले कदम
22-5-18 के
तक प्रोत्साहित

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

राजस्व/24/18

गोविन्द काय



गोविन्द काय
विराटनगर (जयपुर)
न्याय आयोग-द्वारा 2018
विराटनगर (जयपुर)